

(178)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 18(36)नविवि/एनएएचपी/2014

जयपुर, दिनांक :- 26 OCT 2015

आदेश

विषय :- मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानों के अनुरूप सम्बन्धित भवन विनियमों में संशोधन किये जाने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.09.2015 से मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 लागू की गयी है, जिसकी प्रति पूर्व में विभाग द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। इस नीति के प्रावधानों के अनुरूप प्रचलित भवन विनियमों में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवन अनुमोदन हेतु निम्न संशोधन किये जाते हैं :-

1. ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. आवास - निजी विकासकर्ताओं की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों का प्रावधान निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाना है :-
 - (i) भूखण्ड का क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक होने की स्थिति में 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. आवासों हेतु आरक्षित किया जाना होगा
 - (ii) ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है तथा जिन पर फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित है, उनके लिए अतिरिक्त शैल्टर फण्ड रुपये 100/- प्रति वर्गफीट कुल 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. के बराबर क्षेत्रफल पर लिया जाना होगा।
2. भू-आच्छादन - भू-आच्छादन ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भूखण्ड के कुल भूमि के 50 प्रतिशत (अधिकतम) क्षेत्रफल तक स्वीकृत किया जा सकता है।
3. सैटबैक - ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों हेतु पार्श्व एवं पीछे के सैटबैक भवन की ऊंचाई के आधार पर निम्नानुसार रखे जाने होंगे :-
 - (i) 15 मीटर तक की ऊंचाई के भवनों के लिए - 3 मीटर
 - (ii) 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई के भवनों के लिए - 6 मीटर
 - (iii) प्लॉटिड डवलपमेन्ट की योजनाओं में अगर सैटबैक भवन विनियमानुसार एवं अन्य सभी सैटबैक शून्य अनुज्ञेय किये जा सकेंगे।

Orders/Circulars